25/8/25 आज यह पत्रावली हमारे
समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश की गई।
अनुलाप उप० । पत्रावली का अध्ययन
किया गया। वादी का प्र०पत्र स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखा जाकर क्रम० कि० किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर, रंग कम होकर बाद
पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 14 / 20

दायर दिनांक :– 19.08.2020

निर्णय दिनांक :– 25.08.2025

उनवान

1. मयाराम दतक पुत्र बूटिया जाति गुर्जर निवासी कीर्तसिंहपुरा तहसील बहरोड।–**प्रार्थी**–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड़।

–**अप्रार्थी**–

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 रा.भू.रा. अधि. राज. लैण्ड रेवून्यू एक्ट**

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र कुमार द्विवेदी अधिवक्ता प्रार्थी।

**–: निर्णय :–**

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश कि गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह है कि प्रार्थी मायाराम नाबालिक अवस्था में ही बुटिया पुत्र ईश्वर जाति गुर्जर निवासी ग्राम कीर्तनसिहंपुरा त० बहरोड जिला अलवर के गोद चला गया था गोदनामा के मुताबिक ही बुटिया पुत्र ईश्वर की समस्त कृषि आराजी का इन्तकाल न० 59 के मुताबिक पार्थी मायाराम के दर्ज व मजुरं किया गया था इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी सलग्न है । खसरा न० 22 रक्बा 4.82 हेक्टर वाकै ग्राम कीर्तनसिहंपुरा दर्शाया गया है में भायाराम पुत्र ईश्वर अकितं कर दिया गया जो हाल जमाबन्दी में गलत अकन आ रहा है।

प्रार्थी मायाराम के अन्य खसरा नम्बरान 421 रक्बा 0.06, 422 रक्बा 0.07 कुल किता 2 रक्या 0.13 एयर, खसरा न० 168 रखना 0.08, 169 रक्या 0.07, रक्चा 179 रक्या 0.06, 180 रक्या 0.05, 209 रक्या 0.08, 210 रक्या 0.07 कुल किता 6 रकबा 0.41 एयर खसरा न० 194 रक्बा 0.06, 347 रक्चा 0.09. 445 रक्या 0.66 633 रक्बा 0.35 661 रक्बा 0.06 662 रक्या 0.05 कुल किता 6 रक्बा कुल 1.27 हैक्टर वाके ग्राम कीर्तनसिहंपुरा मायाराम दत्तक पुत्र बुटिया सही दर्ज कर दिया गया लेकिन प्रार्थी मायाराम के अन्य खसरा नम्बरान 109 रक्बा 0.18. 110 रक्या 0.17, 111 0.22, 613 रक्या 0.09, 614 रक्बा 0.21, 615 रक्या रक्बा 0.08, 113 रक्चा 0. 09, 646 रक्चा 0.15 कुल किता 8 रक्चा 1.19 हेक्टर खसरा नम्बरान 307 रक्बा 0.45, 308 रक्या 0. 309 रक्बा 0.15 रक्बा 310 रक्या 0.08 311 रक्वा 0.25. 312 रक्या 0.09, 313 रक्बा 0.30, 314 रक्चा 0.32 315 रक्बा 0.31. 316 रक्या 0.46, 317 रक्या 0.25. 318 रक्या 0.13, 319 रक्या 0.08, 320 रखवा 0.08, 321 रक्या 0.15, 322 रक्बा 0.15, 323 रक्या 0.45, 324 रक्या 0.08, 325 रक्बा 0.22. 326 रक्चा 0.11, 327 रक्या 0.38, 356/711 रक्बा 0.15 हैक्टर वाकै ग्राम कीर्तनसिहंपुरा त० बहरोड में सहबन से मायाराम दतक पुत्र बुटिया के स्थान पर मायाराम दत्तक पुत्र ईश्वर अकितं कर दिया गया जबकि बुटिया के पिता का नाम ईश्वर है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय सगत है। हाल समस्त जमाबन्दी श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। प्रार्थी मायाराम के दतक पुत्र बुटिया के स्थान पर ईश्वर का नाम दर्ज किये जाने से आगे की जमाबन्दी का अकंन करते समय राजस्व विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने अन्य खसरा नम्बरान की जमाबन्दी के नाम की अनदेखी करते हुए दर्ज कर दिया जबकि वादी प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

के पिता का नाम बुटिया दर्ज न किया जाकर ईश्वर दर्ज किया जाना न्यायोचित था जिस सूरत मे आगे भी समस्त राजस्व रिकार्ड में नाम का गलत अकंन होता चला गया जिसे अब दुरूस्त किया जाना न्याय सगंत है जिस सूरत में यह प्रार्थना पत्र वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि हाल आराजी खसरा नम्बरान 109 रक्बा 0.18, 110 रक्बा 0.17. 111 रक्बा 0.08, 113 रक्बा 0.22. 613 रक्बा 0.09, 614 रक्बा 0.21, 615 रक्या 0. 09, 646 रक्वा 0.15 कुल किता 8 रक्बा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बरान 307 रक्बा 0.45, 308 रक्बा 0.88 309 रक्या ०. 15 रक्बा 310 रक्बा 0.08 311 रक्बा 0.25. 312 रक्बा 0.09, 313 रक्बा 0. 30. 314 रक्बा 0.32 315 रक्बा 0.31, 316 रक्बा 0.46, 317 रक्बा 0.25. 318 रक्बा 0.13. 319 रक्बा 0.08, 320 रक्या 0.08, 321 रक्बा 0.15 322 रक्बा 0.15. 323 रक्बा 0.45, 324 रक्बा 0.08, 325 रक्या 0.22, 326 रक्बा 0. 11, 327 रक्बा 0.38, 356/711 रक्बा 0.15 हैक्टर वाक ग्राम कीर्तनसिहपुरा त० बहरोड में मायाराम दत्तक पुत्र ईश्वर के नाम में ईश्वर को कलमजन किया जाकर ईश्वर के स्थान पर बुटिया के नाम की दुरूस्त की जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में बुटिया दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बहरोड ने पटवारी हल्का से जॉच करवाकर मूल ही रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्तुत की है।

हमने प्रत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी के वकील प्रार्थी की बहस सुनी वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी जॉच रिपोर्ट9.6.2020 में अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 10.03.1996 ग्राम कीर्तसिंहपुरा तहसील बहरोड़ में साबिक खाता नम्बर 52,53 ,54 पर बुटिया पुत्र ईश्वर के बजाय मायाराम दत्तक पुत्र बुटिया के नाम दर्ज हुआ है। खाता संख्या 55 एवं 28 पर बुटिया पुत्र ईश्वर के स्थान पर मायाराम पुत्र ईश्वर दर्ज हुआ है। जो गलत दर्ज हुआ है। अर्थाथ मायाराम पुत्र बुटिया दर्ज होना चाहिए था। पत्रावली में संलग्न दन्तकाल नम्बर 59 ग्राम कीर्तसिंहपुरा की छाया प्रति से पटवारी कि रिपोर्ट सही पाया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा 109 रक्बा 0.18, 110 रक्बा 0.17. 111 रक्बा 0.08, 113 रक्बा 0.22. 613 रक्बा 0.09, 614 रक्बा 0.21, 615 रक्या 0. 09, 646 रक्वा 0.15 कुल किता 8 रक्बा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बरान 307 रक्बा 0.45, 308 रक्बा 0.88 309 रक्या ०. 15 रक्बा 310 रक्बा 0.08 311 रक्बा 0.25. 312 रक्बा 0.09, 313 रक्बा 0. 30. 314 रक्बा 0.32 315 रक्बा 0.31, 316 रक्बा 0.46, 317 रक्बा 0.25. 318 रक्बा 0.13. 319 रक्बा 0.08, 320 रक्या 0.08, 321 रक्बा 0.15 322 रक्बा 0.15. 323 रक्बा 0.45, 324 रक्बा 0.08, 325 रक्या 0.22, 326 रक्बा 0. 11, 327 रक्बा 0.38, 356/711 रक्बा 0.15 हैक्टर वाक ग्राम कीर्तसिहपुरा तहसील बहरोड में मायाराम पुत्र ईशर को कलमजन किया जाकर मायाराम दत्तक पुत्र बुटिया दर्ज किये जाने दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार बहरोड़ जारी किया जावे।

आज दिनांक 25.08.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)